

Order Sheet [Contd]

Case No 81 / 2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
23.02.2017	<p>आवेदक/आरोपी लला उर्फ रामनरेश की ओर से श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड की ओर से अप0क0 256/16 धारा 307, 294, 506, 34 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री जी0एस0 गुर्जर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी के भानेज भूपेन्द्र को उसके परिवार के लोग/फरियादीगण खेती नहीं करने देते हैं और विवाद करते हैं। जिस संबंध में उसके द्वारा एस.डी. ओ.पी गोहद को आवेदनपत्र दिया गया है। आवेदक के द्वारा उक्त दोनों पक्षों को पंचायत में समझाया गया था। जिस कारण फरियादी के द्वारा उसे उक्त झूठे अपराध में आरोपी बनाया है। घटना में अतेन्द्र के द्वारा गोली मारना फरियादी के द्वारा बताया गया है। आवेदक के द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की है। प्रकरण में सहआरोपी भूपेन्द्रसिंह को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा जमानत पर छोड़ा जा चुका है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः समानता के आधार पर आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजन ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। फरियादी जितेन्द्रसिंह की रिपोर्ट के आधार पर कि दिनांक 16.09.2016 को शाम के 5 बजे उसके परिवार के अतेन्द्रसिंह बगैरह उसके खेत को जबरन जोत रहे थे तो उनको रोकने के लिए उसका भाई नाथूसिंह, ताऊ का लड़का वकील सिंह गए तो वहाँ पर वर्तमान आवेदक सहित अन्य सहआरोपी अतेन्द्रसिंह, भूपेन्द्र, राजेन्द्रसिंह अश्लील गाली गलोज करने लगे और भूपेन्द्र ने कहा कि आज घर लो सालों को, तभी सहआरोपी अतेन्द्रसिंह ने अपनी लाइसेंसी रायफल से जान से मारने की</p>	

नियत से गोली चलाई जो कि नाथूसिंह के सिर में लगी वह गिर पड़ा, अन्य सहआरोपी राजेन्द्रसिंह ने भी अपनी रायफल से गोली चलाई। सभी आरोपीगण गाली गलोज करते हुए बोले कि आइंदा खेत की तरफ दिखे तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 307, 294, 506बी, 34 भा.द.वि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा सहआरोपी भूपेन्द्र की जमानत एम.सी.आर.सी. क्रमांक 748/2017 दिनांक 03.02.2017 में स्वीकार की जा चुकी है। जिससे कि वर्तमान आवेदक/आरोपी लल्ला उर्फ रामनरेश पर लगाया गया आक्षेप निम्न प्रकृति का है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वर्तमान आवेदक के संबंध में अन्य सहआरोपीगण के साथ घटनास्थल पर मौजूद होना और मात्र माँ बहन की गालियाँ देने के संबंध में आक्षेप है। उसका कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड होना भी दर्शित नहीं होता है। आरोपी दिनांक 16.02.2017 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

विचारोपरांत जबकि वर्तमान आवेदक पर लगाए गए आक्षेप सहआरोपी भूपेन्द्र जिसे कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 748/17 दिनांक 03.02.2017 द्वारा जमानत पर छोड़ा गया है से निम्न श्रेणी का है। इस परिप्रेक्ष्य में **मनोहर वि० स्टेट ऑफ एम.पी. 2007(3) एम.पी.एस.टी. 349** को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक समानता के आधार पर जमानत की पात्रता रखता है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए आदेश किया जाता है कि आवेदक के द्वारा संबंधित कमिटल मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य -50000/- रूपए की समक्ष जमानतें एवं 50,000/- रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

- शर्त:-
1. आवेदक जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
 2. आवेदक विवेचना एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
 3. अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित, प्रलोभित नहीं करेगा और उन्हें डराएगा धमकाएगा नहीं।
 4. आरोपी इसी प्रकार के अथवा किसी अन्य अपराध में संलग्न नहीं रहेगा।
 5. विचारण के दौरान अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

6. आवेदक विवेचना अधिकारी/न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
उक्त शर्तों के अधीन जमानत पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़ा जावे।
आदेश की प्रति संबंधित कमिंटल मजिस्ट्रेट गोहद को भेजी जावे।
आदेश की प्रति सहित केश डायरी बापस की जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

डी.सी.थपलियाल
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद